राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना पर गैर सरकारी संस्थाओं का विचार–विमर्श में उभरी चिंताएं एवं सुझाव

जून 29–30, 2011, जयपुर, राजस्थान

वर्तमान में राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। राज्य आयोजना समिति (स्टेट प्लानिंग बोर्ड) ने राज्य के सभी संभागों में संभाग स्तरीय बैठकें करके क्षेत्रिय एवं संभागीय मुद्दों/समस्याओं की पहचान करने की कोशिश की है। तथा जल्द ही राज्य आयोजना समिति, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर अपना दृष्टिकोण पत्र जारी करने वाली है।

इस संदर्भ में **बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र** ने जून 29–30, 2011 को राज्य भर की स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श का आयोजन किया। इस बैठक में 50 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया तथा कृषि, जल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं एवं बाल अधिकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उपयोजना तथा विकेन्द्रिकृत आयोजना पर विभिन्न विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी तथा सहभागियों ने इन पर हुई चर्चा में अपनी राय रखी। इस विचार–विमर्श बैठक में निम्न मुद्दों/मांगों को उठाया गया तथा कुछ सुझाव रखे गये।

प्रक्रिया

- आयोजना बनाने की प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाया जायें।
- आयोजना बनाने के लिये कार्य समुहों (Working Groups) का गठन किया जा सकता है।
- एक कार्य समुह सामाजिक न्याय एवं सहभागिता (Inclusion) पर हो सकता है, जो महिलाओं, एकल नारीयों, घुमंतु जातियों तथा अन्य वंचित समुहों की सहभागिता एवं सशक्तीकरण के उपाय सुझाये।

प्रारूप एवं दृष्टि

- आयोजना के प्रारूप में भी बदलाव लाया जा सकता है। राजस्थान जैसे राज्य में **अकाल पर एक अध्याय शामिल किया जा सकता है।**
- नीचे से ऊपर आयोजना (Planning from Below) या विकेन्द्रीकृत आयोजना (Decentralized Planing) को अपनाया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत तैयार किये गये जिला कृषि योजना तथा जिला आयोजना समिति द्वारा तैयार किये गये **जिला विकास आयोजना** को राज्य आयोजना में समाहित किया जाना चाहिये।

कृषि

- **छोटे एवं सीमान्त किसानों को अलग समूह के तौर पर चिन्हित किया जाये** तथा उनके लिये अनुकुल नीति बनाई जाये।
- राज्य कृषि नीति राज्य की विशिष्ट स्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, जिसमें राज्य के कृषि–जलवायु क्षेत्रों (Agro-climatic Zones) का ध्यान रखा जाये।
- खाद व बीज वितरण उचित समय पर, जब आवश्यक हो, होना चाहिये। गांवों में बारिश का मौसम शुरू होने से पहले, जून के प्रथम सप्ताह में ये आदान (inputs) उपलब्ध होनी चाहिए।
- खराब बीज के कारण खराब होने वाली फसल का किसानों को मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कृषि अनुसंधान कार्यों हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- राज्य में खारे पानी की बाहुल्यता वाले जिलों में किसानों को उसके अनुसार फसल उत्पादन हेतु जानकारी दी जानी चाहिए
- सीमांत व छोटे किसानों हेतु कृषि ऋण प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक व आसान बनाया जाना चाहिये।
- फसल बीमा की राशि के समय पर भुगतान को सुनिश्चित किया जाये।
- कृषि को बढावा देने के लिए विदेशी बीज कंपनियों के बजाय स्थानीय संस्थाओं और संसाधनों को बढावा दिया जाना चाहिए।
- कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग पर रोक लगानी चाहिये।

जल व सिंचाई

- जल संरक्षण हेतु पुराने बांधों, एनीकट तथा तालाबों आदि के रख रखाव (Maintenance) पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- जल अंकेक्षण, जल बजट व जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- जल दोहन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, इसमें सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- फव्वारा सिंचाई तकनीकी को सघनता से प्रोत्साहन दिया जाए।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलग–अलग संसाधनों, रहन सहन के स्तर एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके अनुरुप जल नीति बनाई जानी चाहिए।

उद्योग

- राज्य में उद्योग के विकास हेतु नये क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जैसे वस्त्र निर्यात।
- **भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को जनहितकारी बनाया जाना चाहिये तथा कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्युनतम रखा जाना चाहिये।**

- निजी उद्योगों के लिये सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाये।

उर्जा

- सौर तथा पवन जैसे वैकल्पिक उर्जा स्रोतों को सरकारी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए एवं लोगों में इसके प्रति जागरुकता पैदा की जानी चाहिए।

शिक्षा

- शिक्षा का अधिकार कानुन को लागू किया जाना।
- शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों जैसे भवन, शौचालय, रैम्प, पेयजल आदि की मापदंड के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिये।
- शिक्षकों की नियुक्ति कर रिक्त पदों को भरा जाये तथा शिक्षकों की संख्या को बढाया जाना चाहिये। महिला शिक्षकों का अनुपात बढाया जाये।
- प्रत्येक तहसील स्तर पर केन्द्रीय विधालय की तर्ज पर एक उच्च माध्यमिक स्कुल होना चाहिए।
- निजी विद्यालयों की बढ़ती फीस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के विद्यालय तक आने जाने हेतु सुरक्षित परिवहन सुविधाएं मुहैया करवाई जाए एवं विद्यालय में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में और अधिक बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएं।
- राज्य की घुमंतु जातियों जैसे कालबेलिया, बंजारा, भोपा, नट, ढ़ोली आदि को शिक्षा से जोड़ने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

स्वास्थ्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीयों की नियुक्ति तथा उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- वर्तमान में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मीयों के रिक्त पद भरे जायें तथा नये पद सृजित किये जायें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त डॉक्टरों के लिये सुविधाओं तथा विशेष भत्ते का प्रावधान।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खून की जांच की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य बीमा का सुधार तथा अधिकाधिक दावा निपटारा के उपाय करना।

बाल अधिकार

- समेकित बाल विकास योजना में महिला सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिये।
- परियोजना अधिकारीयों को घरेलु हिंसा विरोधी कानून के अंर्तगत दिये गये संरक्षा अधिकारी (Protection Officer) के कार्यभार से मुक्त किया जाना चाहिये।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।
- ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों, जिनका अपना भवन नहीं है, उन्हें भवन उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों एवं संस्थानों की बाल संरक्षण नीति बनावाई जाये।
- समस्त स्कूलों एवं कॉलेजों में जेण्डर आधारित भेदभाव एवं हिंसा से संरक्षण समिति का गठन किया जाना चाहिये। (जवाहर लाल नेहरू युनिवसिटी की तर्ज पर)
- बाल श्रम पर पूर्ण रोक लगानी चाहिये।

महिला अधिकार

- पीसीपीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इसके लिए बजट प्रावधानों को बढ़ाया जाना चाहिये।
- राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर पीसीपीएनडीटी एक्ट का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।
- पीसीपीएनडीटी एक्ट से जुड़े स्टेक होल्डर्स जैसे ज्युडिशियरी, पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स, पीसीपीएनडीटी सेल कॉडिनेटर, सलाहकार समिति सदस्य, सोनोग्राफी सेन्टर संचालक आदि का नियमित क्षमतावर्धन किया जाय।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए अलग से संरक्षण अधिकारियों की पर्याप्त नियुक्ति अतिशीघ्र की जाये।
- कानून को लागू करने के लिए आवश्यक आवश्यक बजट प्रावधानों को दिया जाये।
- इस कानून का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।
- इस कानून से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स जैसे ज्युडिशियरी, पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स, पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता आदि का नियमित क्षमतावर्धन किया जाये।
- सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों एवं संस्थानों की जेण्डर नीति बनावाई जाये एवं उसको प्रत्येक कार्य करने वाले प्रतिनिधि को दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- लगातार घटता लिंगापुपात राज्य के सामने एक बड़ी गंभीर चुनौती हो गया है। इससे निपटने के लिए एक व्यापक साझा रणनीति बनाकर आने वाले दस वर्षों तक सख्ती से लागू किया जाये।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से संबंधित दिशा निर्देशों की जानकारी सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को दी जाये और इसके अंतर्गत आवश्यक कमेठी का गठन सुनिश्चित किया जाये।
- सार्वजनिक स्थलों पर महिला शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- प्रत्येक जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाये।

- महिलाओं के भूमि के अधिकार का संरक्षण तथा उन्हें लागू करने के उपाय हों।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं में नियत मापदंडों के अनुसार बजट में राशि आवंटित की जाए तथा उसी अनुरुप खर्च को सुनिश्चित किया जाये।
- सभी विभागों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति उपयोजनाओं के लिये निर्धारित लघु शीर्ष खोलने चाहिये।
- **सभी विभागों को इन दोनों उपयोजनाओं के अन्तर्गत चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों की जानकारी देना चाहिये।**
- सम्बल ग्राम विकास योजना के तहत गांवों के विकास के लिए उनकी संख्या के अनुरुप राशि आवंटित की जाए।

Rajasthan Civil Society Consultation on 12th Five Year Plan
Venue: State Resource Centre, Rajasthan Adult Education Association
Jhalana Dungri Institutional Area, Jaipur
29-30 June, 2011

First Day: June 29, 2011

09.30 -10.00 am	Welcome	
10.00 – 10.45 am	Key Note Address Planning in Rajasthan: An overview Thanks	Dr. Surjit Singh, IDS
10.45 – 11.00 am	Tea	
11.00 am -12.15 pm	Agriculture: Issues and concerns, Presentation by BARC followed by discussions	Chair- Dr. Surjit Singh, IDS
12.15– 1.30 pm	Water Presentation- followed by discussions	Chair - Dr. M S Rathore
1.30-2.30 pm	Lunch	
2.30 – 3.45 pm	Education Presentation – Shri O. P. Kulahari followed by discussions	Chair- Shri Yogenra ji, Bodh
3.45-4.00 pm	Tea	
4.00-5.30 pm	Energy Presentation by Shri Bhagwat Nandan, SWRC Followed by discussion	Chair-Shri Bal Mukund ji

Second Day: June 30, 2011

9.30-11.00 am	Health Presentation: Manish Shrivastava, SPRI Followed by discussions	Chair- Nesar Ahmad, BARC
11.00 -11.15 am	Tea	
11.15- 1.00 pm	Women and Children Presentation – Dr. Shobhita Rajgopal, IDS And Vijay Goel followed by discussions	Chair - Ms. Kavita Shrivasta Ms. Anita Kaushik, WCD, GOR
1.00-2.00 pm	Lunch	
2.00-3.30 pm	TSP and SC-SP Presentation – Mahendra, BARC Kailash Bairwa, DAAA, Javed Alam, CBGA, New Delhi followed by discussions	Shri Satish Ji, CDR
3.30 – 5.00 pm	Decentralized Planning in Rajasthan Ms. Alka Singh, UNDP Ms. Chhavi Rajavat, Sarpanch	Chair – Shri Ram Avtar, Rasghuvanshi, Member, State Planning Board
5.00-5.30 pm	Sharing the summary of discussion Follow up plan Concluding Remarks and Thanks	Chair- Prof. V. S. Vyas, Deputy Chairperson, State Planning Board and Shri Anil Chaplot (DS-P), Dept. of Planning, GoR

राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना पर गैर सरकारी संस्थाओं का विचार–विमर्श
जून 29–30, 2011 जयपुर (राज.)
में भाग लेने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	नाम	संस्था का नाम	क्र. सं.	नाम	संस्था का नाम
1.	हरी ओम सोनी	आस्था संस्थान, उदयपुर	2.	रमाकान्त	सेव दा चिल्ड्रन
3.	अमित चौधरी	सेव दा चिल्ड्रन	4.	नरेन्द्र प्रताप सिंह	पर्यावरण एवं विकास अध्ययन संस्था, जयपुर
5.	सुनिल कुमार	पर्यावरण एवं विकास अध्ययन संस्था, जयपुर	6.	रणवीर सिंह	कल्प
7.	चुन्नी बाई	आस्था संस्थान (सरपंच–राजसमंद)	8.	रूपलाल गरासिया	आस्था संस्थान, कोटड़ा
9.	मंजु माली	सरपंच	10.	रफिया अली	सेव दा चिल्ड्रन
11.	योगेश्वर सिंह	सॉसियल पॉलिसी रिसर्च इंसटट्यूट, जयपुर	12.	रेखा नाथन	लोक अधिकार, बाड़मेर
13.	ओम प्रकाश आर्या	कन्ज्यूमर यूनिट एण्ड ट्रस्ट सोसाइटी	14.	बुद्धानाथ	कालबेलिया विकास समिति, जोधपुर
15.	गिरिजा स्वामी	आस्था संस्थान, उदयपुर	16.	मन्जूर खान	आस्था संस्थान, उदयपुर
17.	डॉ. ओ.पी. कुल्हरी	कल्प, जयपुर	18.	डॉ. बी.के.श्रीमाली	
19.	लाडू लाल शर्मा	सी.ई.डी.एस.जे.	20.	महेन्द्र सिंह राव	बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
21.	मुकेश कुमार बंसल	बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर	22.	भँवर मेघवंशी	मजदूर किसान शक्ति संगठन
23.	प्रदीप शर्मा	एस.सी.एम. एस.पी.आर.आई., जयपुर	24.	नवीन नारायण	एक्शन एड, जयपुर
25.	मनिश कुमार	राजमेरू	26.	नगेन्द्र सिंह	बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
27.	नेसार अहमद	बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर	28.	महादेव प्रसाद कुमावत	जी.ई.बी.एस.एस., खण्डेल
29.	सूरजीत सिंह	विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर	30.	शंकर सिंह	मजदूर किसान शक्ति संगठन
31.	कमल	आर.टी.आई. मंच, एम.के.एस.एस.	32.	भूपेन्द्र कौशिक	बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
33.	रतन नाथ कालबेलिया	दलित आधिवासी घुमंतु डगर	34.	तारा चन्द वर्मा	दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर
35.	गिरिजेश	दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर	36.	अनाड नाथ कालबेलिया	दलित आदिवासी घुमंतु डगर
37.	अमरनाथ कालबेलिया	दलित आदिवासी घुमंतु डगर	38.	सन्तोषनाथ कालबेलिया	दलित आदिवासी घुमंतु डगर
39.	अनीवनाथ	खाटूश्याम दलित आदिवासी घुमंतु	40.	कल्याणनाथ	दलित आदिवासी घुमंतु डगर

	कालबेलिया	डगर		कालबेलिया	
41.	सुरभनाथ कालबेलिया	दलित आदिवासी घुमंतु डगर	42.	उमेद सिंह	सौहार्द, अलवर
43.	किशोर गौड	सौहार्द, अलवर	44.	कैलाश बैरवा	दलित आर्थिक अधिकार आन्दोलन, जयपुर
45.	राजीव के.	दलित आर्थिक अधिकार आन्दोलन, जयपुर	46.	सीता राम मीणा	बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
47.	दिपिका कुल्हरी	कल्प	48.	डॉ. एम.एस. राठोड़	सी.ई.डी.एस.जे.
49.	विजय गोयल	आर.आई.एच.आर. जयपुर	50.	शारदा खटीक	राजसमंद महिला मंच
51.	नन्दू बाई	राजसमंद महिला मंच	52.	राकेश श्रीवास्तव	सिकोईडिकोन
53.	राम कुमार बैरवा	उगरियावास जाग्रति केन्द्र संस्था	54.	योगेन्द्र	बोध
55.	मनीष तिवारी	एस.सी.एम. एस.पी.आर.आई.	56.	भगवत नन्दन	एस.डब्ल्यू.आर.सी. तिलोनिया
57.	शहनाज	एस.डब्ल्यू.आर.सी. तिलोनिया	58.	शिव	अलारिप्पू
59.	आदित्य एस. पाण्डे	प्रजायत्न	60.	छवि राजावत	सरपंच, सोद
61.	शोभिता राजगोपाल	विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर	62.	योगेश कुमार छिपा	एस.सी.एम. एस.पी.आर.आई.
63.	जावेद ए खान	सीबीजीए, नई दिल्ली	64.	निरंजन शर्मा	सौहार्द, अलवर
65.	दीनदयाल शर्मा	सौहार्द, अलवर	66.	सतिश कुमार	दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर
67.	अनिता कौशिक	डब्ल्यू. ई. डिपार्टमेन्ट	68.	कविता श्रीवास्तव	पीयूसीएल
69.	मोहन लाल गुप्ता	जनकल्याण एवं परिवार कल्याण समिति	70.	आलोक व्यास	सिकोईडिकोन
71.	अलका सिंह	यूएनडीपी	72.	भगवानसहाय	दलित अधिकार केन्द्र
73.	कविता	दलित अधिकार केन्द्र	74.	अनिल माथूर	माईनिंग इंजिनियर्स एसोसिएट्स ऑफ इण्डिया
75.	बाल मुकुन्द शर्मा	समता पावर	76.	अनिल चपलोत	योजना विभाग
77.	विनेश सिंह	योजना विभाग	78.	डॉ. वी.एस. व्यास	राज्य आयोजना समिति